महत्वपूर्ण सूचना

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना

सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक–ए/626, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800023

(वेबसाइट–www.csbc.bih.nic.in)

विज्ञापन संख्या 03/2019 के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में 'सिपाही चालक' के रिक्त पद पर चयन से संबंधित शारीरिक दक्षता/जाँच परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन हेतु सूचना

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा बिहार राज्य में वर्ष 2019 में बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में 'सिपाही चालक' पद की 98 रिक्तियों के विरूद्ध विज्ञापन संख्या 03/2019 पर्षद के वेबसाइट तथा राज्य के प्रमुख समाचार–पत्रों में दिनांक 20.10.2019 को प्रकाशित किया गया था।

2. प्रकाशित विज्ञापन एवं ''बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली–2017'' एवं संगत अधिसूचनाओं में निहित प्रावधान के आलोक में गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही चालक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 29.12.2019 (रविवार) को एक (01) पाली में आयोजित की गयी । लिखित परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात (1:5) में अगले चरण ''शारीरिक दक्षता परीक्षा'' के लिए चयनित कर परीक्षाफल दिनांक 29.05.2020 को प्रकाशित किया गया ।

3. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता/जाँच परीक्षा (PET) दिनांक 03.07.2020 से शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय (पटना हाई स्कूल), गर्दनीबाग, पटना–800002 में आयोजित की जायेगी । शारीरिक दक्षता/जाँच परीक्षा (PET) हेतु प्रवेश–पत्र दिनांक 13.06.2020 से पर्षद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर "Bihar Home Guards" टैब पर उपलब्ध रहेगा । प्रवेश–पत्र दिए गए लिंक ''Download e-Admit Card for PET of Home Guard Constable Driver'' पर क्लिक कर Download किया जा सकता है । जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ई–प्रवेश–पत्र Download नहीं कर सकेंगे, वे दिनांक 30.06.2020 एवं 01.07.2020 को केन्द्रीय चयन पर्षद के बैक हार्डिंग रोड (सचिवालय हाल्ट के निकट), पटना– 800001 स्थित पर्षद कार्यालय से पूर्वाह्न 10:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक अपना डुप्लिकेट प्रवेश–पत्र अपने खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा ।

4. चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता/जाँच परीक्षा (PET) की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना प्रवेश–पत्र पर दर्ज है ।

5. शारीरिक दक्षता/जाँच परीक्षा (PET) में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जायेंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा । शारीरिक दक्षता/जाँच परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जाँच की जाएगी। इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा ।

6. शारीरिक दक्षता/जाँच परीक्षा (PET) के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश–पत्र तथा निम्नांकित मूल प्रमाण–पत्रों तथा उनकी एक सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे :

i. वैध फोटोयुक्त पहचान–पत्र (जैसे– आधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस आदि)।

ii. वाहन चालन अनुज्ञप्ति (ड्राईविंग लाईसेंस) मूल रूप में, विज्ञापन की तिथि 20/10/2019 से कम से कम एक वर्ष पूर्व अर्थात् 20/10/2018 तक या इसके पूर्व का निर्गत हल्का मोटर वाहन (LMV) अथवा भारी मोटर वाहन (HMV) अनुज्ञप्ति ही मान्य होगी।

iii. प्रवेश–पत्र के साथ संलग्न ड्राईविंग लाईसेंस सत्यापन प्रपत्र को (जहाँ से ड्राइविंग लाईसेंस निर्गत है), वहाँ से सत्यापित कराकर लाना अनिवार्य होगा । अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ससमय ड्राईविंग लाईसेंस सत्यापन प्रपत्र को सत्यापित कराकर अपने साथ अवश्य लाएँ ।

iv. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र। दिनांक (01.08.2019 तक या इसके पूर्व की शैक्षणिक अर्हता मान्य होगी)।

v. जन्म तिथि का प्रमाण–पत्र (मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति)।

vi. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए)। महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) के जाति प्रमाण–पत्र पर पिता का नाम एवं पता अंकित होने पर ही मान्य होगा।

vii. क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण–पत्र (पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)। क्रीमीलेयर रहित (NCL) प्रमाण–पत्र, महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) के क्रीमीलेयर प्रमाण–पत्र पर पिता का नाम एवं पता अंकित होने पर ही मान्य होगा।

viii. बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र (सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए)।

ix. बिहार राज्य के गृह रक्षक (यदि हों तो) होने संबंधी प्रमाण–पत्र ।

x. बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी होने संबंधी प्रमाण–पत्र (बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–11687/सा0प्र0, दिनांक–30.08.2016 में विहित प्रपत्र के अनुसार) ।

xi. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य होने संबंधी प्रमाण–पत्र । बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक 26 फरवरी, 2019 (गजट संख्या 284) के द्वारा विहित प्रपत्र में ।

xii. बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर संविदा पर नियोजित किए जाने संबंधी प्रमाण–पत्र ।

7. सभी योग्य उम्मीदवारों को विज्ञापन संख्या–03/2019 में वर्णित सभी शर्तों / प्रावधानों को पूरा करना अनिवार्य होगा ।

8. किसी भी विवाद में अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

9. प्रेस में मुद्रण अथवा टाईपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा ।

10. दलालों से सावधान रहें और ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करें ।

ह0/–

अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),

बिहार, पटना

ज्ञापांक 14/के0च0प0(सू0)

अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय,

सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक–ए/626,

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना– 800023

दिनांक 12/06/2020